

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


गुंन 21/17 तारीख रजु 5.6.17

उतवान - बाबूलाल बनाम रामदयाल
वै०

प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेदाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री मनोज शर्मा एडवोकेट
ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेदाज्ञा द्वारा
अन्तर्गत 212 Pt Act पेश किया। प्रार्थना पत्र
द्वारा रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस
संलग्न कर दिनांक 21/17 को पेश हो।

2131-34
5.6.17


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

21.6.17

प्रार्थी वकील उप। अर्थात् नं. 1 का प की ओर से श्री
मदनमोहन शर्मा ADV ने प्रार्थना पेश किया। अर्थात्
नं. 5 का पेश होने वकालतनामा व जवाब दिनांक
7.7.17 को पेश हो।

27 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी के
द्वारा पेश है। अतः पत्रावली गदामुसार
दिनांक 28.7.17 को पेश हो।

28.7.17

वकूलाय उप। वकालतनामा व जवाब पेश
कने दि. 21.8.17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर ले

दिनांक	फर्द अहकाम
18.1.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>उभगाप</u> है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>18.2.19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
18.2.19	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी <u>वि. प्रकाश</u> है। गतानुसार दिनांक <u>18.3.19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
18.3.19	<p>वकुलाय उप0/ गतानुसार वास्तविक दि 10.4.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
10.4.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>धुना</u> कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>30-5-19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
30.5.19	<p>वकुलाय उप0/ इस शर्तनाम से संबंधित मूलदावा प्राथमिक डिफेंड किया जा चुका है। इसलिए इस शर्तनाम में आगे कार्यवाही चलाये रखने का औचित्य नहीं है। अतः यह शर्तनाम अस्थाई निषेधारा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के क्रम श्रुमार देकर नम्बर से क्रम देकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: right;">उपजिला कलेक्टर रोडाभीम (करौली)</p>